प्रकाशन का 41 वां वर्ष

शैल

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
निष्पक्ष
एंव
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

ई – पेपर
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक – 22 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 30 – 06 जून 2016 मूल्य पांच रूपए

फारखा की ताजपोशी से कितने मजबूत हुए वीरभद्र चर्चा में है यह सवाल

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने पांच वरिष्ठ आई ए एस अधिकारियों को नजर अन्दाज करके वीसी फारखा की मुख्य सचिव के पद पर ताजपोशी की है। इस ताजपोशी से वीरभद्र सिंह और उनकी सरकार कितनी मजबूत हुई है यह सवाल सचिवालय के गलियारों से लेकर सड़क तक हर कहीं चर्चा का विषय बना हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि इस ताजपोशी के बाद यंहा तैनात वरिष्ठ अधिकारी प्रोटैस्ट लीव पर चले गये हैं और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल ने भी इस ताजपोशी को ऐसे उच्च पदों की गरिमा को कमजोर करना करार दिया है। जो अधिकारी प्रोटैस्ट लीव पर गये हैं वह आगे क्या करते हैं और कब तक छुट्टी पर रहते इसका पता तो आने वाले समय में ही लगेगा लेकिन इन लोगों का सक्रिय सहयोग सरकार को नही मिलेगा इतना तो तय है। इस ताजपोशी का सीधा प्रभाव मुख्यमन्त्री कार्यालय पर पड़ा है क्योंकि फारखा पहले मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव थे और कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। अब फारखा के स्थान पर सेवानिवृत पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव टीजी नेगी को लगाया गया है। उनकी नियुक्ति बतौर सलाहकार है जिसमें वह प्रधान सचिव की जिम्मेदारी संभालेगे। मुख्य मन्त्री के आदेशों के लिये जाने वाली हर फाईल उनके माध्यम से ही जायेगी सीधे नही यह व्यवस्था फारखा के समय में ही कर दी गयी थी और अभी तब बरकार है। लेकिन सेवा निवृत होने के कारण टी जी नेगी किसी भी विभाग की प्रशासनिक जिम्मेदारी सीधे नही उठा सकते। इसलिये हर काम के लिये दूसरे अधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। संयोगवश मुख्यमन्त्री के सचिवालय में प्रधान निजि सचिव सुभाष आहलूवालिया प्रधान सचिव टी जी नेगी, टी सी जनारथा, राकेश शर्मा ढिड़ोरा सभी सेवा निवृत अधिकारी है। ओ एस डी अमितपाल की नियुक्ति तो वैसे ही राजनीतिक है। ऐसे में मुख्य सचिव वी सी फारखा पर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही तरह की जिम्मेदारी बढ़ जायेगी।

आगे विधान सभा के चुनाव होने हैं जिनकी यह संभावना बराबर बनी हुई है कि यह चुनाव इस वर्ष भी करवाये जा सकते हैं। मुख्यमन्त्री जिस तरह से प्रदेश भर का दौरा कर रहे है उसे एक तरह से सरकारी खर्च पर चुनाव प्रचार की संज्ञा दी जाने लग पड़ी है। आने वाले दिनों में इन दौरों पर सवाल भी उठ सकते हैं। चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकारों को बहुत सारे फैसले राजनीतिक उद्देश्यो को ध्यान में रखकर लेने पड़ते है। यदि पिछले तीन चुनावों पर नजर दौडाई जाये तो हर चुनाव से पहले के दो वर्षो में सरकारें सामान्य से दो गुणा कर्ज उठाती रही है। इस बार तो वित्तिय स्थिति और भी गंभीर है ऐसे में इन दौरो में की जा रही घोषनाओं को अमली जामा पहनाने के लिये अधिक कर्ज उठाना सरकार की स्वाभाविक आवयश्कता होगी। लेकिन यह कर्ज उठाने के लिये वित्त विभाग के साथ अन्य विभागों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। इस सहयोग के लिये प्रशासनिक रूतवे से अधिक आपसी सौहार्द ज्यादा आवयश्क रहता है। क्योंकि यदि चुनावी वर्ष में हर अधिकारी नियम कानून के मुताबिक ही काम करने की बात करने लग जाये तो सरकार के लिये कठिनाई पैदा हो जाती है।

चुनावी वर्ष के कारण ही सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो जाते है। माना जा रहा है कि विपक्ष आने वाले दिनों में आरोप पत्र दागेगा। क्योंकि अब तक के तीन वर्ष के कार्यकाल में वीरभद्र सरकार धूमल की पूर्व सरकार के खिलाफ एक भी मामला प्रमाणित करने में सफल नही हो पायी है। धूमल शासन के खिलाफ हिमाचल ऑन सेल का जो राग अलाप कर वीरभद्र सरकार सत्ता में आयी थी उस दिशा में एक भी मामले पर कोई कारवाई सामने नही आयी है बल्कि जिन अधिकारियों ने बेनामी सौदों को पकड़ने में महत्वपूर्ण कारवाई करके हजारों बीघे जमीन चिन्हित करने का दावा किया है उन्हें ईनाम के तौर पर वहां से हटा दिया गया है और इन मामलों में हर बार यही जवाब आता रहा कि जिलाधीशों को शीघ्र कारवाई के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। विजिलैन्स में कई गंभीर मामलों की शिकायतें कई वर्षो से लंबित पड़ी हुई हैं। जिन पर निहित कारणों से कोई कारवाई नही की जा रही है। आने वाले दिनों में सरकार को घेरने के लिये कई गंभीर मामले सामने आ सकते हैं ऐसे में वीरभद्र सिंह ने जो टीम अब खड़ी की है उसमें कितना आपसी सहायोग रह पाता है और फारखा कैसे सबको अपने साथ लेकर चल पाते हैं इस पर अभी से सबकी नजरे लग गयी हैं। क्योंकि अभी तक वीरभद्र सिंह जितने भी मामलों पर जो जो दावे करते रहे हैं वह सब केवल ब्यानों तक ही रहे हैं और हकीकत नही बन पाये हैं।

वीरभद्र प्रकरण में

आनन्द चौहान ने वापिस ली याचिका और ई.डी. ने अथॉरिटी में दायर किया चालान

शिमला/शैल। वीरभद्र मामलें में सहअभियुक्त बने आनन्द चौहान ने प्रदेश उच्च न्यायालय में राहत की गुहार लगाते हुए जो याचिका दायर की थी उसे वापिस ले लिया है। अदालत में पहली जून को इस याचिका की मेनटेविलिटी पर हुई बहस के बाद चौहान ने याचिका वापिस लेने का निर्णय लिया। इस मामले में जब वीरभद्र के घर और अन्य स्थानों पर छापामारी हुई थी तब उसी समय उन्होने प्रदेश उच्च न्यायालय में इस कारवाई को चुनौती दी थी। इस चुनौती पर न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और सुरेश्वर ठाकुर की खण्डपीठ ने यह आदेश पारित किया था कि वीरभद्र की गिरफ्तारी की संभावना पहले उच्च न्यायालय को उसका आधार बताकर अनुमति लेनी होगी। चौहान और चुन्नी लाल ने भी इसी आधार पर यह याचिका यहां दायर की थी जबकि अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो चुका है।

दूसरी ओर इसी मामलें में वीरभद्र और प्रतिभा सिंह के साथ ही उनके बेटे और बेटी की संपति भी ईडी ने अटैच कर रखी है। ई डी की इस कारवाई को चुनौती देते हुए वीरभद्र सिंह और उनके बच्चों ने दो अलग – अलग याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर कर रखी है। विक्रमादित्य और अपराजिता सिंह की याचिका पर अटैचमैन्ट को जारी रखते हुए उच्च न्यायालय ने इस संबध में ईडी की अगली कारवाई पर रोक लगाते हुए ऐजैन्सी से 18 जुलाई को इसमें जवाब मांगा है। वीरभद्र और प्रतिभा सिंह ने इस संद्धर्भ में दर्ज हुए एफआईआर को रद्द करने उनके ठिकानों पर हुई छापामारी का आधार बने दस्तावेज देने तथा अटैचमैन्ट को समाप्त करने की गुहार अदालत से लगा रखी है। इस याचिका पर अदालत ने एफ आई आर रद्द करने और छापामारी का आधार बने दस्तावेज उन्हें उपलब्ध करवाने तथा अटैचमैन्ट समाप्त करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में आपके बच्चे भले ही अभियुक्त नही है लेकिन वह इसके लाभार्थी हैं उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि ई डी का कोई भी अगला आदेश इसमें तब तक प्रभावी नहीं होगा जब यह याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। अब यह दोनो मामले 18 जुलाई को सुने जायेंगे ।

इस मामले में ई डी ने अपनी अथॉरिटी में चालान दायर कर दिया है।अब इसी मामले में भाजपा नेता राज्य सभा सांसद डा. स्वामी ने भी एक ब्यान देकर इस मामले में कारवाई तेज किये जाने का आग्रह किया है। डा. स्वामी से जुडे सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें मिली हैं जिनका वह शीघ्र ही खुलासा करने वाले है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने जो चालान इस मामले मे दायर किया है उसमें कई फोन नम्बरो का जिक्र भी आया है और पड़ताल करने पर यह भी खुलासा हुआ है कि कई नम्बर मार्च और अप्रैल में डी ऐकटिवेट हो चुके हैं तथा कई नम्बरो के रिकार्ड पर वह उपभोक्ता है जिन्होने कभी इन नम्बरों का उपयोग ही नही किया है इन फोन नम्बरों के कारण कुछ राजनेता कुछ पत्रकार तथा कुछ अफसरशाह भी ट्रेल का पार्ट बने हैं। माना जा रहा है कि आनन्द चौहान ने इसी सारी जानकारी के बाद प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था यह भी चर्चा है कि विक्रमादित्य के नाम पर अपरोक्ष/अपरोक्ष में कुछ और संपतिया भी मण्डी कुल्लु में सामने आयी हैं जिनके बाहर आते ही पूरे मामले में और गंभीर मोड आ सकते हैं। यह भी चर्चा है कि सीबीआई ने भी इस मामले में शीघ्र चालान तैयार करने की तैयारी कर ली और वह इस सबंध में कुछ लोगों को पूछताछ के लिये नोटिस जारी कर चुकी है तथा इसमें कुछ की गिरफ्तारी की भी संभावना बन चुकी है। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि सीबीआई और ईडी दोनों के ही मामले अन्तिम चरण में पहुंच चुके हैं और ईडी के मामले में शीघ्र ही चार्ज लगने की स्थिति आ जायेगी।

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने मेधावी चिकित्सकों को प्रदान किए स्वर्ण पदक

शिमला/शैल। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला ने होटल पीटरहॉफ में अपना स्वर्ण जयंती वर्ष दीक्षांत समारोह मनाया।

भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। राज्यपाल आर्चाय देवव्रत, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राष्ट्रपति ने मेधावी चिकित्सकों को स्नातकोतर तथा चिकित्सा स्नातक में श्रेष्ठ स्थान हासिल करने वालों को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में डा. रीतु रानी तथा एमबीबीएस पाठयक्रम के दौरान विभिन्न चिकित्सा अध्ययन विषयों में पांच स्वर्ण पदक प्राप्त डा. मीनाक्षी के अलावा डा. नेहा सिंह, डा. शिप्री शर्मा, डा. तनवी कटोच शामिल हैं।

राष्ट्रपति ने पदक व चिकित्सा स्नातक की डिग्रियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, विशेषकर पांच स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली डा. मीनाक्षी को बधाई दी।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने स्नातक, स्नात्कोत्तर, पोस्ट डॉक्टिूएल डिग्री तथा मैडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी।

राज्यपाल ने कुलपति ए.डी.एन. वाजपेयी को मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करने के लिए अधिकृत किया। इनमें एमबीबीएस में 97 उम्मीदवारों ने स्नातक की डिग्री तथा 87 को स्नातकोत्तर, 6 को स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा 6 विद्यार्थियों को सुपर स्पैशियलिटी की डिग्रियां प्रदान की गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सभी उत्तीर्ण स्नातकों तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों से पीड़ित मानवता के प्रति उदारता तथा समर्पण भाव से सेवा करने का आहवान किया तथा आम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का सुझाव दिया।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITIGN TENDER

Sealed item rate tender form 6&8 are invited by the Executive Engineer Dharamshala Division HPPWD. Dharamshala for the below mentioned works from the approved and eligible contractors firm enlisted in HPPWD ,so as to reach in his office on or before 26/06.2016 upto 11:00 AM. and the same shall be opened on the same day at 11:30AM in the presence o the tender opening committee and intending contractors /firm or their authorized representatives. The tender documents can be had from this office. against cash payment non refundable)up to 4:00PM. On 27.06.2016.The application for issue of tender forms shall be received upto 1:00 P.M. on 25.06.2016.

The earnest money in the shape of NSC,s /FDR Deposit /Bank Guarantee at Call of any of any post office /Bank duly pledged in favour of XEN HPPWD. Dharamashala must accompanied with the tender documents. Please note that no exemption orders of earnest money will be entertained. Conditional tenders and the tenders received without earnest money as mentioned above will summarily be rejected. The offer of the tenders shall be kept open for 90 days. The Executive Engineer reserves the right to reject any tender or all tenders without assigning reason. The contactor should be registered as a dealer under H.P. Sales Tax Act , 1962 and also produce the clearance certificate from the Excise and Taxation department. the tender documents shall only be issued to those contractor firms who will produce the photocopy of their enlistment /renewal if it happens to be a holiday on the day o opening of tenders the same will be opened on the next working day at the same time and venue.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost Rs	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender
1.	M/t of Dadh Malan Massal Rajhoon road km 0/0 to 8/00 (SH:- C/o Cement Concrete Pavement road in km 4/00 to 4/250)	7,92,120/-	15,845/-	Three Months	350/-
2.	C/o Kufri Patialkar khas Thana Chinwar Rounkha road (SH:- M/T in km 0/00 to 0/105 &0/310 to 0/455)	2,29,785/-	4,600/-	Three Months	350/-
3.	C/o Tang Uthragran Ramehar Baldhar jassour road km 2/00 to 10/00 (SH:-c/o Cements Concrete Pavement road at RD 5/930 to 6/030)	3,16,848/-	6,340/-	Three Months	350/-
4.	C/o & M/T of road from Pathiar Majethil Ambari to Hatwas road (SH:P/L soling and wearing in km 0/500 to 0/750)	1,42,788/-	2,860/-	Three Months	350/-
5.	C/o Pathiar Suhrehar road (SH:C/o cement Concrete Pavement road ar km 0/00 to 0/50& 0/865 to 1/015)	6,45,646/-	12,915/-	Three Months	350/-
6.	C/o balance work of O.B.C. Bhawan at Nagrota Bagwan in Distt Kangra Hp (SH:C/o edge wall an kitchen sheds)	8,96,355/-	17,930/-	Three Months	350/-
7.	C/o balance work of Welfare Bhawan at Serathana in Tehsil Nagrota Bagwan in Distt Kangra HP (SH:C/o balance work of ground floor, septic tank and retaining wall)	9,96,509/-	19,950/-	Six Months	350/-
8.	C/o road in ward No.I Karahpura (SH:C/o Cenemt concrete Pavement road km 0/00) to 0/500)	2,46,140/-	4,950/-	Three Months	350/-
9.	C/o earmarked Residential Accommodation type IV Otr for Distt Planing Officer in Distt. Kangra (HP)Deposit work) (SH:C/o balance work of I No. type otr.ceiling flooring wood work. Distempering painting and sanitary work)	4,95,552/-	9,920/-	Three Months	350/-

Conditions:
1. The Contactor should have the labour License from the Competent under contract Act, 1970 failing which no tender from shall be issued.
2. An Affidavit for not having two or more work in hand.
3. The contractor should be registered as a dealer under HPST Act, 1968and should produce S.T. clearance Certificate latest from the Excise and Taxation Department
4. The Contractor should produce a copy of enlistment /renewal latest.
5. No exemption is allowed on NABAR works.
6. The bidders enlisted in a particular class shall be eligible to tender for his own class and one step blow.

Adv. No.-0827/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam

(HP Government undertaking)

Block No. 24, 2nd Floor, STPI Building, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009

Email – md.hpkvn@gmail.com Website –www.hpkvn.nic.in

Adv. No- 01/2016 **Dated - 01/06/2016**

NOTICE INVITING BIDS

Himachal Pradesh KaushalVikas Nigam (HPKVN), Shimla has been mandated to empower the youth of HP by enhancing their skills and employability.

HPKVN intends to empanel eligible and qualified agencies for imparting skill development training in Himachal Pradesh. For this, HPKVN invites proposals from eligible Training Service Providers / Organizations affiliated to the National Skill Development Corporation (NSDC) or any of the Sector Skill Councils established under NSDC for conducting training of 1000 youths on pilot basis across various sectors.

Detailed instructions, formats, guidelines, terms and conditions may be downloaded from the website of HPKVN (www.hpkvn.nic.in).

Last date for submission of EOI is 15th June, 2016 before 05.00 PM through post. The EOI clarification meeting shall take place on 10th June, 2016 at 11.00AM in the office of the undersigned.

Sd/-
Managing Director, HPKVN,
Block No. 24, 2nd Floor, STPI Building,
SDA Complex, Kasumpti, Shimal-171009.
Email –md.hpkvn@gmail.com
Phone No. 0177 2628981, 2624581

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
भारती शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिकों पर रखी जा रही कड़ी नजर: कैप्टन रमन

शिमला/शैल। प्रदेश में प्रसव पूर्व लिंग जांच परीक्षण (पीएनडीटी) अधिनियम के प्रावधानों का कडाई से पालन किया जा रहा है,और दोषी क्लिनिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यही कारण है कि प्रदेश में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। राज्य में मौजूदा लिंग अनुपात 1000/933 है। यह बात स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियमन निदेशक कैप्टन रमन कुमार शर्मा ने राज्य उपयुक्त प्राधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सलाहकार समिति की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि जिलों में गठित समितियों तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में 265 अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिकों के 602 निरीक्षण किये तथा अधिनियम के अनुरुप कमियां पाए जाने पर चेतावनियां जारी की अथवा कानूनी कार्रवाई की गई। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को और अधिक निरीक्षण के लिये निर्देश जारी किये।

वोल्वो बसों को मण्डी में पर्याप्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी क्रिकेट खेल में सटा लगाने की बात नही कही है और न ही कभी क्रिकेट खेल की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में क्रिकेट खेल सटों के कारण बदनाम हुआ है, परन्तु उनका मत है

कि किसी की सटेबाजी में संलिप्त नही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके ब्यान को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी को भूमि उपलब्ध करवाने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को प्रस्ताव आने पर ही इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लग्ज़री वोल्वो बसों के मण्डी में रुकने के प्रावधान पर पूछे गए एक सवाल पर कहा कि जब यह बस अड्डा बना तो उस वक्त लग्ज़री वाल्वो बसें भी कम थी और बस अड्डे पर इन बसों के प्रवेश अथवा रुकने का प्रावधान नही किया गया था। उन्होने कहा कि हि.प्र. पथ परिवहन निगम के बेड़े में अनेक वाल्वो बसें शामिल की गई हैं तथा इन बसों की पार्किंग के लिये अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वाल्वो बसों को मण्डी से प्रदेश के विभिन्न भागों तथा प्रदेश के बाहर चलाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाल्वो बसों की सीधे मनाली से आवाजाही हो रही है और बीच के स्टेशनों पर इनमें सीटों के आरक्षण की सुविधा मुमकिन नही है।

मुख्यमंत्री ने मण्डी में 6.66 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसमें 14 दुकानें तथा 5 बस-वे टर्मिनलस की सुविधा है। उन्होंने युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि इन दुकानों के खुल जान से यात्रियों की जरूरतें पूरी होंगी तथा इन्हें शीघ्र ही आवंटित कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री द्वारा शुभारम्भ किए गए हिमुडा द्वारा निर्मित बस स्टैंड के द्वितीय चरण में रेस्तरां और हिमाचल पथ परिवहन निगम कार्यालय के अतिरिक्त सवारियों के लिए शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है। हिमुडा के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रथम चरण में 26 दुकानें पहले ही तैयार कर दी गई है और इसके अतिरिक्त 13 बस-वे बनाए गए हैं, जिस पर 11.34 करोड़ रुपये खर्च हुए है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर, परिवहन मंत्री जी. एस. बाली, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा, लोक सभा की पूर्व सदस्य तथा हि.प्र. अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर उपस्थित थे।

आईजीएमसी के नए ओपीडी निर्माण में तीन शिफ्टों में 24 घंटे कार्य करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऑकलैंड हाउस स्कूल टनल के समीप निर्माणाधीन इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान एवं अस्पताल के ओपीडी खण्ड का औचक निरीक्षण किया।

निर्माणाधीन स्थल पर लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ कुछ समय गुजार कर मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा इसे हर हालत में 10 अगस्त, 2017 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने तीन शिफ्टों में 24 घंटे कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद कर इन्हें स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि नए ओपीडी खण्ड को तय समयावधि के भीतर बिना किसी विघन के पूरी तरह क्रियाशील बनाया जाएगा। उन्होंने 56 करोड़ रुपये के इस प्रतिष्ठित परियोजना के पूरा होने तथा उद्घाटन की तिथि को दर्शाता हुआ साईनेज लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह खण्ड आईजीएमस के मुख्य परिसर में भीड़ कम करने में मद्दगार होगा। उन्होंने पिछले कुछ समय से निर्माणाधीन अन्य

परियोजनाओं की फीड-बैक भी प्राप्त की तथा कहा कि नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि से जुड़े मामले को भी उठाया जाना चाहिए।

पैंशनधारकों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की ऑन लाईन सुविधा

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने राज्य के पेंशन धारकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया गया है। विभाग की वैब साईट www.himkosh.hp.nic.in पर उपलब्ध जीवन प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके इसे भर कर किसी भी राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त जून 2016 से पैंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), कोष कार्यालय या सामान्य सेवा केन्द्र जहां बायोमैट्रिक उपकरण उपलब्ध हों, में जमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जीवन प्रमाण पोर्टल की वैबसाईट में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाकर संबन्धित कोष कार्यालय में भेज सकते हैं।

जिन पैंशन धारकों ने कोषागारों में पहले ही अपना आधार संख्या दर्ज किया है, वे कहीं से भी बायोमिट्रिक यंत्र द्वारा अपना जीवन प्रमाण प्रस्तुत करवा सकते हैं और उन्हें कोषागार में अलग से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को लीव एनकैशमेंट के 2.43 करोड़ जारी

- 1.30 करोड़ चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि जारी
- निगम में तीन वर्षों में 1651 नियुक्तियां
- चालकों व परिचालकों को 20 वर्ष की सेवा पर दो विशेष वेतन वृद्धियां प्रदान

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने कहा कि यात्रियों को गुणात्मक, आरामदायी एवं सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हि.प्र. पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारी परिवहन सेवाएं प्रदान

करने में अहम् भूमिका निभाते हैं और सरकार ने इन कर्मचारियों को समय-समय पर देय वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किये हैं। बाली निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम के कर्मचारियों को अवकाश के बदले वेतन की अदायगी के लिये 2.43 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त, निगम प्रबन्धन को देय चिकित्सा भत्ते की 50 प्रतिशत राशि 1.30 करोड़ रुपये भी जारी करने के साथ-साथ निगम के पेंशनधारकों को अप्रैल माह की पेंशन जारी करने के भी आदेश जारी किये गए हैं।

बाली ने कहा कि निगम के कर्मचारियों को जनवरी 2013 से अभी तक 510 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किये हैं जिनमें चिकित्सा भत्ता, रात्री भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, पेंशन लाभ, अवकाश के बदले वेतन तथा वर्दी की अदायगी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों की मांग पर 48 घण्टे के ओवर-टाईम रोस्टर को वापिस लिया जिससे निगम पर सालाना 18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा लेकिन कर्मचारी लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के 1651 पदों पर बेरोज़गार युवाओं को नौकरियां प्रदान की गई। इसी अवधि के दौरान निगम के 1250 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया एवं 1846 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गई।

परिवहन मंत्री ने कहा कि करुणामूलक आधार पर 343 लोगों को नियुक्तियां प्रदान की गई तथा 212 परिचालकों को उप निरीक्षक के पदों पर पदोन्नत किया गया। 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले चालको व परिचालकों को दो विशेष वेतन वृद्धियां प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान ग्रेड पे प्रदान की गई तथा 4-9-14 को पे-स्केल लागू किया गया। पीसमील कार्यकर्ताओं को अनुबन्ध में लाने के लिये नीति बनाकर 255 पीसमील कर्मियों को अनुबन्ध आधार पर परिवर्तित किया गया। हितकारी निधि के अन्तर्गत मृतक कर्मचारी को मिलने वाली 75000 रुपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये तथा सेवा निवृत कर्मचारी को देय 15000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 20000 रुपये किया गया। बाली ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों एवं निगम के कर्मचारियों की मेहनत के फलस्वरुप निगम के सकल राजस्व में 170 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। केएमपीएल 3.63 से बढ़कर 3.69 तक पहुंच गई है जिससे सालाना 3 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। उन्होंने निगम के कर्मचारियों को और अधिक मेहनत एवं समर्पण की भावना से कार्य करने का आग्रह किया ताकि लोगों को और बेहतर परिवहन सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही निगम की आय और इजाफा हो।

मुख्य न्यायधीश हिमाचल प्रदेश के साथ भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने की मुलाकात

शिमला/शैल। भारतीय वन सेवा 2015-17 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के 19 दिवसीय दौरे पर शिमला में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायधीश मन्सूर अहमद मीर से मुलाकात की। मुख्य न्यायधीश ने मुलाकात के दौरान परिवीक्षाधीन वन अधिकारियों के साथ न्यायिक प्रक्रिया तथा वनों के महत्व पर चर्चा की।

गौरतलब है कि 2015-17 बैच में 61 परिवीक्षाधीन वन अधिकारी देहरादून स्थित अकादमी में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। यह अधिकारी दो दलों में हिमाचल व जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं। पहले दल में 31 अधिकारी बालाजी के नेतृत्व में इन दिनों शिमला आये हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य पश्चिम हिमालयी परिस्थितिकी तन्त्र व यहां के वन प्रबन्धन के बारे में परिचित करवाना है।

इस अवसर पर श्री एस.पी. वासुदेवा प्रधान मुख्य अरण्यपाल हि.प्र., एस. एस. नेगी प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी, वी. के. तिवारी मुख्य अरण्यपाल तथा आलोक नागर अरण्यपाल शिमला उपस्थित थे।

हि.प्र. राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 5202 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हि.प्र. प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की पुन: स्थापना के उपरांत 31 मई, 2016 तक इसके समक्ष कुल 8301 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4458 मामलों का निपटारा किया गया है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से 6327 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 744 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 63 अवमानना याचिकाएं, 9 समीक्षा याचिकाएं, तीन एक्स याचिकाएं तथा 2477 विविध आवेदन पत्रों का भी इस अवधि के दौरान निपटारा किया गया।

प्रेम की शक्ति दण्ड की शक्ति से हजार गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है।.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

स्थानान्तरण कोई हल नही है

मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इस कार्यकाल मे अपने पास रखी हैं इस वार प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा दसवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणाम इतने निराशाजनक रहे हैं कि मुख्यमंन्त्री ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए निराशाजनक परिणाम देने वाले स्कूलों के मुख्याध्यापकों /प्रिंसिपलों को तुरन्त ट्रांसफर करने और खराब परिणाम के कारण बताने के आदेश किये है। इन्ही के साथ संबधित विषयों के अध्यापकों की भी जवाब तलबी की है। मुख्य मन्त्री के इन आदेशों पर अमल होना भी शुरू हो गया है। मुख्यमन्त्री की चिन्ता जायज है। लेकिन इस समस्या का स्थायी हल खोजने की आवश्यकता है क्योंकि स्थानान्तरण इसका कोई हल नही है क्योंकि जो लोग एक जगह गैर जिम्मेदार रहें हैं वह दूसरी जगह जाकर सुधर जायेगें इसी कोई गारंटी नही है। इसका कोई स्थायी हल तब तक नही निकाला जा सकता है जब तक की इसे मूल कारणों की जानकारी न मिल जाये।

शिक्षा में सुधार लाने के लिये और इसे हर घर और बच्चे तक पहुंचाने के लिये आप्रेशन ब्लैक बोर्ड तथा प्रौढ शिक्षा केन्द्रों से लेकर आर एम एस ए व रूसा तक के कई कार्यक्रम लागू हो चुके है। स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षण कार्यक्रम भी इसी में उठाये गये महत्वपूर्ण कदम रहे है। हर कार्यक्रम के तहत काम हुए हैं। केन्द्र से सभी कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त आर्थिक सहयोग भी मिला है। आज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों में शिक्षा में गुणवता लाने के लिये विशेष बल दिया गया हैं यहां तक की कैग रिपोर्टो में समय–समय पर जो टिप्पणीयां आती रही है उनका भी गंभीरता से कोई संज्ञान नही लिया जाता रहा है। इसलिये सबसे पहले यह आवश्यक है कि इन सारे कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन हमारे सामने हो।

शिक्षा संस्थान खोलने के लिये केवल वोट की राजनीति ही आधार नही रहनी चाहिये। इस समय मुख्यमन्त्री दिल खोलकर प्रदेश में सभी जगह स्कूल/कॉलिज बांटते जा रहे हैं इसका कोई अध्ययन नही है। कि कहां पर स्कूल /कॉलिज खोलने के वांछित मानक पूरे है। एक संस्थान खोलने के लिये कम बच्चों की संख्या और अन्य आधार भूत सुविधांयों की निश्चितता पूरी तरह परिभाषित है लेकिन इन मानको को पूरी तरह नजर अंदाज किया जा रहा है। एक समय डीपीबीईपी कार्यक्रम के तहत इतने स्कूल खोल दिये गये थे कि आगे चलकर प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर स्कूलों का युक्तिकरण करते हुए कई स्कूल बन्द करने पडे थे। आज भी दर्जनों स्कूल ऐसे है जहां पर अध्यापकों की संख्या पूरी नहीं है। दर्जनो स्कूल ऐसे है कि जिनमें बच्चों की कम से कम संख्या भी पूरी नही है। अभी निराशाजनक परिणामों का संज्ञान लेते हुए जो स्थानान्तरण किये गये है उनमें सामने आया है कि कितने स्कूलों में मुख्याध्यापकों/प्रिंसिपलों के पद खाली है। इसलिये सबसे पहले इन खाली पदों को भरने के प्रयास किये जाने चाहिये। हर स्कूल में जब तक हर विषय का अध्यापक उपलब्ध नही होगा जब तक अच्छे परिणामों की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। शिक्षा पर देश /प्रदेश का भविष्य आधारित है और एक लम्बे अरसे से शिक्षा क्षेत्र में ही व्यापारीकरण के आरोप लगते आ रहे है। इसी व्यापारीकरण का परिणाम है कि शिक्षा के क्षेत्र में नियामक आयोग नियुक्त करना पड़ा है। क्या नियामक आयोग अप्रत्यक्षतत:सरकारी तन्त्र की असफलता की स्वीकारोक्ति नही हैं फिर यह नियामक आयोग अपने उद्देश्य में कितने सफल हो पाये है। यदि इस पर ईमानदरी से आकलन किया जाये तो इससे व्यापारीकरण के साथ ही भ्रष्टाचार का स्तर भी बढ़ गया है। इसलिये प्रदेश के भविष्य की चिन्ता करते हुए इस व्यापारीकरण को तुरन्त प्रभाव से रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार से बड़ा कोई अदारा नही हो सकता जो शिक्षा और स्वास्थ्य को हर घर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। लेकिन इसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिये शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये कि वह अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूलों/कालेजो में न पढायें। क्योंकि जब तक इस तरह की अनिवार्यता नही ला दी जाती है। तब तक इसमें सुधार नही किया जा सकता। स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बजाये स्कूलों में छात्रों और अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाये। संख्या बढ़ाने के लिये कम बच्चों वाले स्कूलों को बन्द करके उन बच्चों को बस सुविधा उपलब्ध करवायी जाये ताकि उन्हे स्कूल पहुंचने में कठिनाई न आये।

निवेशकों को आकर्षित कर रहा हिमाचल

राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे अनेक प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। इन प्रोत्साहनों के फलस्वरूप कई जाने माने औद्योगिक घरानों ने राज्य में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए देव भूमि हिमाचल को अपनी कर्म भूमि चुना है। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए इन अग्रसक्रिय प्रयासों से मौजूदा उद्योग भी अपनी इकाईयों का विस्तार करने के लिये प्रोत्साहित हुए हैं।

राज्य को उपलब्ध करवाये जा रहे आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज के समय से पहले समाप्त करने के कारण प्रोत्साहन उपरान्त अवधि के दौरान प्रदेश में औद्योगिकरण की गति धीमी होने की आशंका बनी हुई थी। परन्तु प्रगतिशील और औद्योगिक अनुकूल नीतियों के साथ राज्य का नेतृत्व निवेशकों का विश्वास जीतने व उन्हें अनेक प्रोत्साहन प्रदान करने में सफल हुआ है। राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण ने इस अवधि के दौरान 247 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें 8852.55 करोड़ रुपये के निवेश के 91 नये प्रस्ताव तथा 3720. 28 करोड़ रुपये के निवेश के 152 विस्तार के प्रस्ताव शामिल हैं। इस प्रकार कुल 12,571.83 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने में सफलता मिली है तथा इनमें 24,760 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। औद्योगिक प्रस्तावों को समयबद्ध अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा प्रदेश में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक सामान्य आवेदन की सुविधा आरम्भ की है। इस सामान्य आवेदन के माध्यम से प्राधिकरण अब आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर मंजूरी प्रदान कर रहा है।

राज्य में नये निवेश के लिये शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिये राज्य में हिमाचल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट की स्थापना की जा रही है ताकि और औद्योगिक घरानें हिमाचल में निवेश कर सकें। बागवानी, उद्योग तथा कृषि ऐसे क्षेत्र हैं जिनपर राज्य की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है और ये किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख संकेतक हैं तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करवा रहे हैं।

राज्य में उद्यमियों को 'मुख्य मंत्री स्टार्ट. अपध्नई औद्योगिक योजनाष् प्रदान की जा रही है जिसने न केवल राज्य में नए निवेशों को आकर्षित किया है, बल्कि उद्यमियों को उनकी मौजूदा इकाईयों के विस्तार के लिये भी प्रोत्साहित किया है।

राज्य में सभी नए उद्यमों को अब आनलाईन या मैन्युअल रूप से केवल स्वयं प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सभी विभाग दस्तावेज प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर अंतरिम पंजीकरण जारी करेंगे। 100 हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले लघु उद्योगों तथा अन्य उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। एक अन्य प्रमुख कदम के तहत राज्य सरकार ने स्टार्ट अप के समर्थन के लिये राज्य के प्रमुख संस्थानों में 'इनक्यूबेशन केन्द्र' स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये स्टार्टअप विनिर्माण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खरीद वरीयता के लिए हकदार होंगे। इसके अलावाए इन इकाईयों को पहले अनुभव कारोबार व टर्नओवर जैसी अनिवार्यताओं में छूट दी जाएगी बशर्ते वे अपेक्षित गुणवत्ता मानकों को पूरा करती हों।

आमतौर पर यह देखा गया है कि माइक्रो सेक्टर में 25 लाख रुपये के निवेश के साथ नई शुरूआत करने वाले उद्यम युवाओं को अधिक रोजगार प्रदान करते हैं। इसलिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कम से कम पांच लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले तथा बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले सभी ऐसे उद्योगों को तीन वर्षों के लिये 10 लाख रुपये के ऋण पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि नए उद्योगों को पंजीकरण के लिये केवल 3 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी वसूली जाएगी।

राज्य में पर्यावरण मित्र उद्योगों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिये नामित औद्योगिक क्षेत्रों में हरे एवं नारंगी श्रेणी के उद्योगों की स्थापना की जाएगी तथा पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता न होने वाले ऐसे उद्योगों को बिना किसी निरीक्षण के स्वप्रमाणन पर इकाईयां स्थापित करने की सहमति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि उद्योग स्थापित करने की सहमति शुल्क तथा ग्रीन उद्योग और आरेंज उद्योगों के मामले में नवीकरण के लिये सहमति शुल्क क्रमश: 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कम किया जाएगा।

ऊना जिले के पंदोगा कांगड़ा के कंदरौड़ी तथा सोलन जिले के धभोटा में तीन अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं जो उद्यमियों को आधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे और निवेश के लिये हिमाचल प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बनाने के लिये कारगर सिद्ध होंगे।

वन बंधु कल्याण योजना

आदिवासी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल

आकाश श्रीवास्तव

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्तूबर 1999 में भारतीय समाज के सबसे वंचित वर्ग अनुसूचित जनजाति (अजजा) के एकीकृत सामाजिक – आर्थिक विकास के समन्वित और योजनाबद्ध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए चलाई जा रही समग्र नीति, योजना और समन्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। केंद्र सरकार ने आदिवासी परिवारों के लिए बेहतर और सतत् रोजगार, ढांचागत खामियों को खत्म करने, शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार और आदिवासी क्षेत्रों में जीवन में सुधार पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया है।

15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 75 समुदायों की आदिम जनजाति समूह के रूप में पहचान की गई है। इन समूहों में से कुछ समुदाय बहुत ही छोटे है, जो दूरदराज के स्थानों पर अपर्याप्त प्रशासन एंव पिछड़ी मूलभूत सुविधाओं के साथ विभिन्न रूपो में विकसित हुए हैं। इसलिए उन्हें संरक्षण एंव विकास हेतु प्राथमिकता दी जाने की आवश्यकता है। इन समूहों की परेशानियां एंव जरूरतें अन्य अनुसूचित जनजातियों से भिन्न होती है। आदिवासी समूहों के बीच आदिम जनजाति समूह सबसे कमजोर होने के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन समूहों के सामाजिक – आर्थिक विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र / केन्द्र प्रायोजित एंव राज्य योजना स्कीमों से अपेक्षित धनराशि के आवंटन हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया।

अनुसूची 5 क्षेत्र में करीब 350 प्रखंड ऐसे हैं जहां कुल जनसंख्या की तुलना में जनजातीय लोगों की जनसंख्या 50 प्रतिशत या अधिक है। गत दिनों में कई प्रयास किए जाने के बावजूद मानव विकास संकेतक (एचडीआई) के अनुसार इन प्रखंडों में कई प्रकार की कमियां रह गयी। इन प्रखंडों को अगले पांच वर्ष की अवधि में सतत् विकास मिशन के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा सुविधा प्रदान कर म डल प्रखंड के रूप में विकसित किया जाना है। इन्ही सबके मद्देनजर भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने आदिवासियों के कल्याण के लिए वनबंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) की शुरूआत 2014 में की थी।

आदिवासी समूहों और जनजातियों के सर्वांगीण विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विषेश ध्यान है। उल्लेखनीय है कि यह योजना देश में सबसे पहले गुजरात में शुरू की गयी थी जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। यह योजना वर्ष 2014 में आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के एक – एक विकासखंड में पायलट आधार पर शुरू की गई। योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में विभिन्न सुविधाओं का विकास करने के लिए 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की हुई। इन ब्लॉकों का चयन संबंधित राज्यों की सिफारिशों और कम साक्षरता दर के आधार पर किया गया। वन बंधु कल्याण योजना में केन्द्रीय मंत्रलयों, विभागों की विकास की विभिन्न योजनाओं के समन्वय और राज्य सरकार की परिणाम आधारित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है। प्रारंभ में ब्लॉक की कुल आबादी की तुलना में जनजातीय आबादी का कम से कम 33४ को लक्षित करके योजना को मूर्तरूप दिया गया। वन बंधु कल्याण योजना का मोटे तौर पर आशय एक रणनीतिक प्रक्रिया से है जो यह सुनिश्चित करने की परिकल्पना करती है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लक्षित सभी लाभ समुचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से संसाधनों के तालमेल द्वारा वास्तव में उन तक पहुंचे।

वित्त वर्ष 2014 – 15 में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीय योजना के रूप में वन बंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) शुरू की थी। जबकि सरकार ने 2015 – 2016 में पंजाब और हरियाणा को छोड़कर बाकी सारे राज्यों में वन – बंधु कल्याण योजना को लागू कर दिया गया। जिसके लिए दो सौ करोड़ रूपए आवंटित किए गए। सरकार जनजातीय परिवारों के लिए उत्तम एवं निरंतर रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार तथा जनजातीय क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान दिया गया है।

वन बंधु कल्याण योजना के माध्यम से अगले पाँच वर्ष की अवधि के दौरान गुणवत्ता एवं दृश्य आधारभूत सुविधाओं के साथ इन ब्लॉकों को आदर्श ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे सतत् विकास के मिशन को आगे ले जाया जा सके। जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास को तेज करने, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए मकान, सभी को स्वच्छ पेयजल, क्षेत्र के उपयुक्त सिंचाई सुविधाओं, आस – पास के कस्बों/शहरों को जोड़ने वाली सड़कें, बिजली की उपलब्धता, शहरी विकास, विकास के पहिए को सतत् प्रवाहमान रखने के लिए सुदृढ़ संस्थागत तंत्र, जनजातीय सांस्कृतिक

विरासत का संवर्द्धन एवं अनुरक्षण एवं जनजातीय क्षेत्रों में खेल का विकास करना है।

पूर्व में जनजातीय लोगों के विकास की गति शेष सामाजिक समूहों की अपेक्षा धीमी और कही ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष कंपोनेन्ट प्लान एवं विशिष्ट कार्यक्रमों के बावजूद जनजातीय समूहों तथा अन्य सामाजिक समूहों के बीच विकास में भारी अंतर विद्यमान है। जनजातीय लोगों के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करना विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं प्रशासनिक कारणों से सरकार के लिए एक चुनौती पूर्ण कार्य रहा है। शिक्षा योजनाओं की पुनर्संरचना का उद्देश्य आवासीय स्कूल, जनजातीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना तथा जनजातीय बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जैसे उपायों से पर्याप्त शिक्षागत आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है, जिससे कि राष्ट्रीय साक्षरता की तुलना में जनजातीय महिला साक्षरता में वृद्धि हो सके।

वन बंधु कल्याण योजना का उद्देश्य उचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग और एक समग्र दृष्टिकोण के जरिये भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करके आदिवासियों के व्यापक विकास है। देशभर में जनजातीय आबादी को जल, कृषि एवं सिंचाई, बिजली, शिक्षा, कौशल विकास, खेल एवं उनके सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हाउसिंग, आजीविका, स्वास्थ्य, स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाओं एवं वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए यह योजना एक संस्थागत तंत्र के रूप में काम करेगी।

रणनीतिक तौर पर शुरू की गई वीकेवाई प्रक्रिया केंद्र की तरह ही राज्य सरकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के साथ जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस योजना को कनवर्जेंस प्लान के रूप में शुरू किया है। वन बंधु कल्याण योजना आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कराने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है।

सृष्टि का आरंभ ओम की ध्वनि से हुआ

शिमला/शैल। सृष्टि का आरंभ ओम की ध्वनि से हुआ। ध्वनि से प्रकाश और प्रकाश से पाँच तत्त्व उत्पन्न हुए जिनसे इस संसार की प्रत्येक वस्तु का निर्माण हुआ। अपने आस पास देखें, चाहे पेड़ हो या फिर पत्थर, जानवर हो या मानव शरीर, सभी की अपनी एक ध्वनि है। इस ध्वनि को बदलने से मानव का पूरा स्वरूप बदल जाता है. एक स्वस्थ शरीर और रोगी शरीर में भी ध्वनि का ही फ़र्क है।

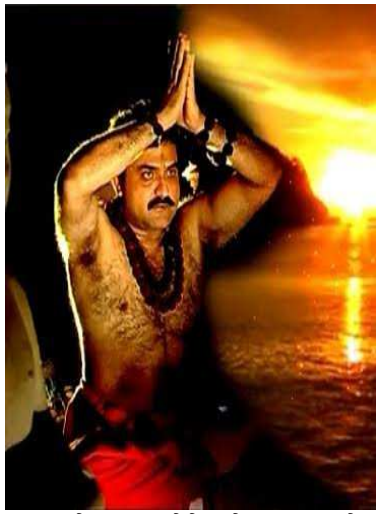

यदि योग साधन वा मंत्र उच्चारण द्वारा शरीर की ध्वनि को सूक्ष्म कर दिया जाए, तो रोगी स्वस्थ हो सकता है और डकैत योगी बन सकता। उसी प्रकार अशुद्ध उच्चारण और निम्न ध्वनियों के प्रयोग से घर, वातावरण तथा सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है. इसका सीधा प्रमाण है, दूरदर्शन पर धारावाहिकों में बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में चलने वाले अशुद्ध उच्चारण, जो घर घर में गूंजते हैं और उनके परिणाम स्वरूप घर और वातावरण में बढ़ती अशांति.

यद्यपि मंत्र विद्या अत्यंत प्रभावशाली है, किंतु किसी भी मंत्र की सफलता के लिए मंत्र की सिद्धि अनिवार्य है. मंत्र दूरदर्शन से सुन अथवा किताबों से रॅट कर नही किये जाते, अपितु गुरु द्वारा शिष्य में संचालित किए जाते हैं. मंत्र का उच्चारण तथा उच्चारण करने वाले का भाव शुद्ध होना भी अनिवार्य है।

प्रत्येक ध्वनि एक उर्जा है, उस ध्वनि में हल्के से भेद से ही उसका प्रभाव उल्टा पढ़ सकता है. उदाहरण के लिए, महामृत्युंजय जी का जाप स्वास्थ्यवर्धक होता है, परंतु उच्चारण की छोटी सी त्रुटि से वह यम (मृत्युदेव) का आह्वान बन जाता है. इसलिए मंत्रों का प्रयोग गुरु सानिध्या में ही करना चाहिए।

मंत्रों के उच्चारण से पूर्व, शरीर का संतुलन में होना तथा नाड़ियों का शुद्धिकरण आवश्यक है, तभी साधक मंत्र की शक्ति का संचालन कर सकेगा. इसके लिए उसे चाहिए की सनातन क्रिया में बताई गयी प्रक्रिया का नियम पूर्वक अभ्यास करे।

मुख्यमंत्री ने किया 58 करोड़ के राज्य डाटा केन्द्र का लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला के समीप मैहली में राज्य डाटा केन्द्र (एसडीसी) तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नये भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने शिमला शहर के लिए मोबाईल पार्किंग ऐप का भी शुभारम्भ किया, जिसे शीघ्र ही राज्य के अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा।

एसडीसी के निर्माण पर 58 करोड़ रुपये तथा विभाग के नये भवन के निर्माण पर 8.66 करोड़ रुपये की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने ई-जिला परियोजना के अन्तर्गत राजस्व व कल्याण सेवाओं की प्रस्तुति भी देखी, जिसमें विभिन्न विभागों का डाटा बेस संकलित किया गया है।

इस अवसर पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश का अपना डाटा केन्द्र होना गौरव की बात है, जो देश में पहला 'हरित' डाटा केन्द्र है क्योंकि ऊर्जा उपयोग क्षमता को बढ़ाकर यह ऊर्जा खपत को कम करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी से लोगों के बीच संवाद क्रांति आई है और विश्वभर में व्यापारिक आदान-प्रदान इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों को नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना एवं तकनीकी का बेहतर उपयोग करना चाहिए।

श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह डाटा केन्द्र सभी सरकारी विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सृजित आम सूचना तकनीक बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस सेवा का उपयोग करने वाले विभागों को अब सर्वर, डाटा बेस इत्यादि की खरीद पर खर्च करने की आवश्यकता नही होगी तथा एसडीसी द्वारा यह ऐप सेवा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालयों तक विभागीय ऐप की पहुंच के लिए हिमस्वान सम्पर्क प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अपने स्तर पर अधोसंरचना विकसित करने के बजाए एसडीसी ई-गवर्नेंस ऐप का प्रयोग करने को कहा।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि सभी विभागों को अपने डाटा-बेस का सत्यापन तथा डिजिटाइजेशन के लिए सत्त प्रयास करने चाहिए ताकि इसके माध्यम से सभी प्रकार के दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तैयार किए जा सकें और इससे दो तरह के अभिलेखों के रख-रखाव की भी आवश्यकता नहीं रहेगी।

उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से 101 ई-गवर्नेंस सेवाएं आरम्भ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी तक एसडीसी में 115 तहसीलों व उप-तहसीलों का भू-अभिलेख स्थानान्तरित किया जा चुका है, और इसे ऑफ-लाईन इंतकाल डाटा को संकलित करने के लिए उपयोगी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि संभवतः हिमाचल प्रदेश शीघ्र ही सही मायनों में ऑनलाइन भू-अभिलेख उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा।

उन्होंने अत्याधुनिक डाटा केन्द्र तथा पार्किंग ऐप विकसित करने के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना की।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री विद्या स्टोक्स ने कहा कि राज्य के लोगों को उनके घरद्वार के समीप आईसीटी पहल के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाकर उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने में प्रदेश अग्रणी बन कर उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि विभाग सॉफ्टवेयर तथा एप्लिकेशन को विकसित करने तथा कार्यान्वित करने के निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि 10 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त करना व अन्य अनेक क्षेत्रों में पहचान स्थापित करना राज्य के लिये गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि राज्य ने कम लागत व नागरिक मित्र ढंग से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

स्टोक्स ने कहा कि पंचायत स्तर पर स्थापित 2000 से अधिक लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों को एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि 70 लाख लोगों के आधार नम्बर सृजित किए जा रहे हैं और इस दिशा में राज्य ने देश में अग्रणी स्थान बरकरार रखा है।

इससे पूर्व, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आईटी) संजीव गुप्ता ने अपनी प्रस्तुति के दौरान अवगत करवाया कि राज्य में लोक मित्र केन्द्रों से माध्यम से विभिन्न प्रकार की 58 सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, और चालू वित्त वर्ष के अंत तक 101 सेवाएं प्रदान करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि पार्किंग ऐप एक अनूठी पहल है, जो पर्यटकों तथा शिमला शहर के स्थानीय लोगों को एक कॉल अथवा मोबाइल फोन से संदेश के माध्यम से पार्किंग स्थल ढूंढने में मदद करेगी। पार्किंग के मालिक, पार्किंग की क्षमता व शुल्क के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि यह ऐप आगन्तुकों व स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य के अन्य शहरों में भी शीघ्र आरम्भ की जाएगी।

राष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन

शिमला/शैल। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति के साथ उनकी सुपुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी भी थी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जी.एस.बाली, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. (कर्नल) धनीराम शांडिल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा, आयुर्वेद मंत्री कर्ण सिंह, मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल व नन्द लाल, मुख्य सचिव वी.सी.फारका, पुलिस महानिदेशक संजय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा सेना, पुलिस व प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल को दी मंजूरी

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के समस्त डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 साल करने संबंधी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो 31 मई 2016 से प्रभावी मानी जाएगी। इससे सरकार के लिए अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं और ज्यादा समय तक लेने एवं अपने जन स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषकर निर्धनतम लोगों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराना संभव हो जायेगा, जो पूरी तरह से सार्वजनिक सुविधाओं पर ही निर्भर रहते हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि यह कदम देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश के स्वास्थ्य पूल में अतिरिक्त डॉक्टरों को शामिल करने में मदद मिलेगी। नड्डा ने कहा कि इससे विभिन्न जन उन्मुख योजनाओं की परिकल्पना करने एवं उन्हें शुरू करने संबंधी मंत्रालय के प्रयासों को मजबूती मिलेगी, जिनके क्रियान्वयन के लिए डॉक्टरों की सेवाओं की बेहद जरूरत है।

आईजीएमसी शिमला में अन्य परिसर शीघ्र होगा निर्मितः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला के सीएसए-2015-16 के स्वर्ण जयंती वर्ष पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लोगों की लिए स्वास्थ्य आवकताओं के लिए चिकित्सा शिक्षा महत्वपूर्ण है तथा प्रदेश में और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय व

अस्पताल खोले जाने की जरूरत है ताकि लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सेवा के लिए उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता तथा उच्च अनुशासन महत्वपूर्ण है। मरीजों की सेवा और चिकित्सकों का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वे अपने मरीजों का उपचार व सेवा सम्पर्ण की भावना से करें और उनके प्रति लापरवाही न बरतें। उन्होने कहा कि आईजीएमसी का विस्तार किया जा रहा है और इसका दूसरा परिसर चम्याणा में 245 बीघा जमीन पर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने वन विभाग से इसके लिए वन स्वीकृत का मामला उठाने को भी कहा।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में 3 चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर, चम्बा तथा नाहन में खोले जा रहे हैं, जिसके लिए प्रत्येक महाविद्यालय को 189 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ईएसआईसी अस्पताल, नेरचौक को प्रदेश सरकार को देने के लिए तैयार है और बिलासपुर में एम्स स्तर का संस्थान खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षित चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ और अधिक स्वास्थ्य संस्थान होने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने 3 जून को आईजीएमसी शिमला के दीक्षांत समारोह में शामिल होने में सहमति दी है।

वीरभद्र सिंह ने एमबीबीएस विद्यार्थियों को उनके स्टाईफंड सहित संबंधित मामलों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वर्ष 2011-12 व 2013-15 में शैक्षणिक तथा खेल सहित अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने नाटी में भी भाग लिया। उन्होंने विद्यार्थियों को खेल तथा साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 50 हजार रुपये की राशि प्रदान करने की भी घोषणा की।

सीएसए पैटर्न डा. संजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा प्रदेश सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान पूरे किए गए विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल में मातृ शिशु अस्पताल परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज में नए ओपीडी तथा सुपर स्पैस्लिटि खण्ड का कार्य भी प्रगति पर है।

उन्होंने अन्य व्यावसायिक कोर्सों पर लागू की जा रही योजना के तहत एमबीबीएस विद्यार्थियों को स्टाईफंड प्रदान करने की भी मांग की।

आईजीएमसी के प्रधानाचार्य डा. के.पी. चौधरी, दंत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डा. आर.पी. लुथरा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रो. डा. एस.एस. कौशल, आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक रमेश चन्द, कमला नेहरू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डा. एल.एस. चौधरी, सीएसए के सलाहकार डा. राजेश कश्यप तथा डा. पियूश कपिला, डा. प्रेम मछान, सीएसए के अध्यक्ष अंकुश भागटा, सीएसए के महासचिव सुमेश शर्मा, अन्य गणमान्य व्यक्ति व महाविद्यालय के विद्यार्थी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रेस क्लब की गवर्निंग कांउसिल की सी एम से मुलाकात,बोले थोड़ी जमीन दे दो श्रीमान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से यहां प्रेस क्लब शिमला की शासकीय परिषद ने प्रैस क्लब के अध्यक्ष धनंजय शर्मा के नेतृत्व में भेंट की।

परिषद ने मुख्यमंत्री से प्रेस क्लब

को शीघ्र भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि क्लब के लिए उपयुक्त स्थान पर भूमि शीघ्र ही चिन्हित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा ही मीडिया से जुड़े लोगों की मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया है तथा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

शासकीय परिषद ने मुख्यमंत्री को निकट भविष्य में 'मीट द प्रेस' के लिए आमंत्रित किया, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र रणदेव, अर्चना फुल्ल समेत कई पत्रकार मौजूद रहे।

केन्द्रीय योजनाओं पशुधन स्वास्थ्य एवं प्रजनन विकास पर 16.16 करोड़ खर्च

शिमला/शैल। पशुपालन विभाग कि राज्य में पशुधन स्वास्थ्य एवं प्रजनन विकास पर विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अप्रैल, 2014 से अभी तक 16.16 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

वित्त वर्ष 2014-15 से अभी तक राज्य को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्राप्त 1292.26 लाख रुपये की राशि में से 1281.22 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। गाय-भैंस प्रजनन एवं डेयरी विकास योजना की कार्य योजना बोर्ड की शासकीय निकाय द्वारा 5 मार्च, 2016 को पारित की गई है तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त 571 लाख रुपये की राशि का घटक वार खर्चा चालू वित्त वर्ष के दौरान किया जाएगा।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त 56.77 लाख रुपये की राशि का उपयोग चालू वित्त वर्ष के अंत तक ज्यूरी स्थित भेड़ प्रजनन फार्म में भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाना है। इस राशि को पुनर्वैध करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है।

मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह
के
दूरदर्शी प्रयासों से

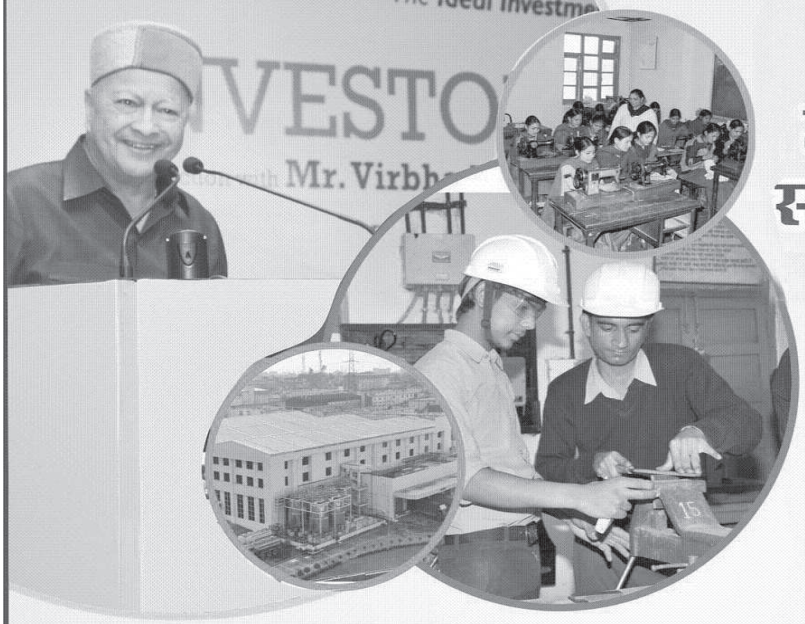

हिमाचल में उद्योगों ने खोले समृद्धि व रोज़गार के द्वार

नए उद्योगों के लिए स्वीकृतियाँ केवल एक ही आवेदन पर 45 दिनों में।
₹ 11,663 करोड़ की 219 परियोजनाएं स्वीकृत, 22,000 युवाओं को रोज़गार।
रोज़गार मेले आयोजित कर 27,000 युवाओं को रोज़गार प्रदान।

- प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं के कौशल विकास के लिए ₹ 500 करोड़ की कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को ₹ 1000 का मासिक भत्ता, शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को ₹ 1500 प्रतिमाह भत्ता। योजना से 1,07,887 युवा लाभान्वित।
- कौशल विकास के लिए 17 औद्योगिक घरानों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित।
- नये निवेश पर सेल डीड व लीज डीड पर स्टॉम्प ड्यूटी में 50% की छूट।
- औद्योगिक इनपुट पर केवल 1% प्रवेश शुल्क।
- उद्योगों को रियायती बिजली मुहैया करवाने के लिए विद्युत शुल्क में कटौती।
- 300 से अधिक हिमाचलियों को रोज़गार प्रदान करने वाली सभी नई औद्योगिक इकाइयों के लिए विद्युत शुल्क की दर 5 वर्षों के लिए केवल एक प्रतिशत।

ज़िला कांगड़ा के कन्दरोड़ी में ₹ 122 करोड़ तथा ज़िला ऊना के पंडोगा में ₹ 140 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों का कार्य प्रगति पर।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हि.प्र. द्वारा जारी

खुशहाली की ओर बढ़ते हिमाचल के क़दम

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

फिर से बोले वीरभद्र

एच पी सी ए और अब बी सी सी आई के भी अध्यक्ष हमीरपुर के भाजपा सांसद तथा भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के तथा अन्य के खिलाफ वीरभद्र की विजिलैंस द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने के लिए बनाये गये मामले में दर्ज एफ आई आर और सी जे एम कोर्ट धर्मशाला मे चल रही कारवाई को प्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय के फैंसले ने वीरभद्र की विजिलैंस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाये हैं । बल्कि फैसले से यह संदेश जाता है कि संभवतः यह मामला जानबूझ कर बनाया गया था। इसी तरह का संदेश ए एन शर्मा मामले में आये फैसले से भी गया है। इन मामलों में ऐसी बुनियादी कमीयां थी कि कानून की थोडी सी जानकारी रखने वाला हर आदमी यह मानकर चल रहा था कि यह मामले सफल नही हो सकते हुआ भी ऐसा ही है।

लेकिन इन मामलों के सफल /असफल होने पर किसी ने विजिलैन्स या दूसरे प्रशासनिक तन्त्र से तो कुछ पूछना नही है। इनमे पहला और अन्तिम सवाल भी वीरभद्र सिंह से ही पूछा जाना है क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्यकाल में लडी गयी लडाई का सबसे बडा प्रमाण यही एच पी सी ए के मामले रहे है। इन मामलों के परिणाम भी वीरभद्र सिंह के सामने ही आ गये हैं ऐसे में इन पर वीरभद्र सिंह से ही प्रतिक्रिया ली जानी थी। मीडिया ने अपना धर्म निभाते हुए सवाल पूछ लिया इस सवाल पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी।

अब वीरभद्र के इस दावे को लेकर चर्चाएं चलना तो स्वाभाविक है। यह चर्चा चल रही है कि क्या वीरभद्र सिंह ने स्वयं इस मामले में आये फैंसले को पढ़ा होगा? क्योंकि जो भी इस फैसले को पढ़ेगा वह मानेगा कि इसमें अपील करने का अर्थ होगा और फजीहत करवाना । इस मामले में चाहिये तो यह था कि इससे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष में जुडे हर अधिकारी की कड़ी जवाब तलबी करते हुए उनके खिलाफ कारवाई की जानी चाहिये थी। लेकिन ऐसा लगता है कि वीरभद्र के शुभ चिन्तकों ने पूरा मन बना लिया है कि सरकार को अपने ही बोझ से इतना दबा दो कि आने वाले समय में उसके खिलाफ कुछ करने की विरोधीयों को आवयश्कता ही न रहे।

धूमल हुए आक्रामक अधिकारियों को दी चेतावनी

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने एक वक्तव्य में उन अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने की बात कही है जिन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मामले बनाकर उन्हे परेशान करने का प्रयास किया है। धूमल ने यह प्रतिक्रिया अनुराग ठाकुर एवम् अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर बनाये गये मामले में आये प्रदेश उच्च न्यायालय के फैंसले पर दी है। धूमल की यह प्रतिक्रिया बिल्कुल सही समय पर आयी है। क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया है। वीरभद्र के इस कार्यकाल में जिस तरह से एच पी सी ए के खिलाफ मामले बनाये गये थे यदि यह मामले सफल हो जाते तो निश्चित तौर पर धूमल परिवार को राजनीति से बाहर होने की स्थिति बन सकती थी। लेकिन यह धूमल का प्रबन्धन और सौभाग्य था कि संयोगवश वीरभद्र के विश्वस्तों की टीम के हर सदस्य का एच पी सी ए में अच्छा खासा योगदान रहा है। इसी का परिणाम है कि अब तक चार मामलों में वीरभद्र और उसकी सरकार को ऐसा झटका लग चुका है जिसका फल चुनावों में देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि एक भी मामला आगे बढ़ जाता है तो पार्टी के भीतर बगावत के स्वर इतने उंचे हो जाते जिन्हे रोकना संभव न होता।

इस समय प्रदेश भाजपा में धूमल के नेतृत्व को कोई प्रत्यक्ष चुनौति नही रह गई है। क्योंकि जे पी नड्डा को जानने वाले यह मानते हैं कि नड्डा भी शान्ता की तरह प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ने का साहस नहीं रखते हैं। शान्ता कुमार ने धूमल को घरने के लिए जिस तरह से धूमल के दानों कार्यकालों में अपनी टीम को आगे किया था आज उस टीम का हर सदस्य शान्ता को छोड़ चुका है क्योंकि शान्ता ने कभी भी विरोध और विद्रोह का नेतृत्व आगे आकर नहीं किया है। बल्कि शान्ता के कारण ही उनके हर साथी का राजनीतिक नुकसान हुआ है। आज शान्ता के समर्थकों को अपना आका तलाशने का संकट है। इसलिए शान्ता के बाद नड्डा भी लगभग इसी स्थिति में माने जा रहे हैं। क्योंकि होटल यामीनि और विवेकानन्द ट्रस्ट के स्वार्थो ने शान्ता को वीरभद्र के आगे इतना कमजोर कर दिया है कि वीरभद्र की प्रशंसा उनकी बाध्यता बन चुकी है। इसी तरह जब भाजपा शासन में नड्डा के पिता को शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का अध्यक्ष पद मिला था और बीच में ही भाजपा सरकार चली गई थी। तब उसके बाद आयी वारभद्र सरकार ने उनको हटाने की बजाये कार्यकाल पूरा करने दिया था। वीरभद्र का रस्मी पैंतरा इतना सफल रहा कि आज तक नड्डा वीरभद्र का रस्मी विरोध करने से आगे नही बढ़ पाये हैं। वीरभद्र के खिलाफ सी बी आई और ई डी में चल रहे मामलों में नड्डा का योगदान रस्म अदायगी तक ही सीमित रहा है।

दूसरी और धूमल ने अपने दोनों शासन कालों में वीरभद्र को ऐसा घेरे रखा है कि उसकी पीड़ा से वीरभद्र आज भी हर समय कराहते मिल जाते हैं। फिर अब तो धूमल के बेटे अनुराग के बी सी सी आई का अध्यक्ष बनने के बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। इस बदले परिदृश्य में अनुराग ने भी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है यह आम चर्चा है कि अब अनुराग को मोदी सरकार में खेल राज्य मन्त्री का पद ऑफर किया था। अनुराग ने बड़ी कृतज्ञता के साथ इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए इस ऑफर को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उन्हे अपने लिए मन्त्री पद के बजाये प्रेम कुमार धूमल को प्रदेश का अगला मुख्यमन्त्री घोषित किया जाये। आज पार्टी के अन्दर अनुराग का कद इतना बड़ा हो गया कि मोदी भी उनके इस आग्रह को अस्वीकार नहीं करेंगे।

इस वस्तुस्थिति में अब धूमल को केवल यही सुनिश्चित करना है कि वह वीरभद्र के खिलाफ चल रहे मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निर्णायक अंजाम तक पंहुचाने में पूरा दम लगा दें। क्योंकि धूमल के खिलाफ वीरभद्र के हर मामले के असफल होने के राजनीतिक परिणामों को सामने रखते हुए वीरभद्र एक बार फिर प्रयास करेंगे कि धूमल के खिलाफ कोई पुख्ता मामला खड़ा किया जा सके जिसके चलते भाजपा के अन्दर धूमल कि खिलाफ विरोध के स्वर उभारने की जमीन तैयार हो जाये। क्योंकि यह तय है कि धूमल के सत्ता में आने से वीरभद्र परिवार को आगे राजनीति में बने रहना आसान नहीं होगा।

AAP की प्रदेश इकाई को लेकर केन्द्रीय नेतृत्व चिंतित बड़े फैसले की संभावना बढ़ी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को 2017 के विधानसभा चुनावों में वीरभद्र सिंह की कांग्रेस व धूमल की भाजपा से मुक्त कराने के दावे करने वाली आप पार्टी की राज्य इकाई के संयोजक राजन सुशांत व राज्य प्रवक्ता सुभाष चंद के बीच भंयकर वाकयुद्ध हुआ व इसके एक दिन बाद संयोजक राजन सुशांत ने रिटेंशन पॉलिसी व बिजली बिलों को लेकर प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार पर हमला बोला।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक सुशांत व सुभाष दोनों के बीच पार्टी मीटिंग में जबरदस्त वाकयुद्ध हुआ और दोनों ने एक दूसरे की शिकायतें आला कमान से की है। कहा जा रहा है कि आलाकमान को इस वाकयुद्ध की आडियो भी भेजी गई है। राज्य प्रवक्ता सुभाष ही नहीं आप के युवा प्रभारी के साथ भी वाकयुद्ध हुआ है।

ऊना रैली उसके बाद सुंदरनगर का बूथ प्रभारियों का सम्मेलन व अब पार्टी मीटिंग में हुए वाकयुद्ध की सारी जानकारी प्रदेश प्रभारी संजय सिंह को है लेकिन संजय सिंह व आप के बड़े बाकी नेता प्रदेश की इकाई में चले घमासान पर पूरी तरह से खामोश है और तमाशा देख रहे है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल व संजय सिंह भाजपा व कांग्रेस के नेताओं की नजरों में खुद तमाशा बनते जा रहे है।

यहां ये गौरतलब है कि राजन सुशांत व सुभाष चंद्र दोनों ही भाजपा से आम आदमी पार्टी में आए हैं। सुशांत के राजनीतिक गुरू भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार हैं तो सुभाष भाजपा के दूसरे बड़े नेता प्रेम कुमार धूमल की चौखट से बाहर निकल कर आए हैं। शांता कुमार ने सुशांत तो धूमल ने सुभाष को अगल-अलग समय पर ऐन मौकों पर पटखनी दी है। सुशांत धूमल के निशाने पर रहे हैं तो सुभाष को वीरभद्र के साथ-साथ धूमल का भी साथ नही मिला है। लेकिन कहा जाता है कि दोनों के संपर्क अपने पुराने आकाओं व उनके लोगों से किसी न किसी तरह बने हुए हैं। इस भयंकर वाकयुद्ध के पीछे समझा जा रहा है कि सुभाष धूमल खेमें के कई नेताओं समेत पहले भाजपा में रह चुके बाकी नेताओं को भी आप में शामिल कराना चाहते है जबकि सुशांत धूमल खेमे के किसी भी नेता को फूटी आंख नही सुहाते है। वो भाजपा में अपने चहेतों को पार्टी में लाना चाहते हैं।

उधर वीरभद्र सिंह व धूमल अपने लोगों को किसी भी तरह आप में घुसपैठ करवाने की फिराक में हैं। कांग्रेस व भाजपा ने दिल्ली में भी इसी तरह का खेल खेला था जिससे अरविन्द केजरीवाल को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वीरभद्र सिंह व धूमल पहले भी इस तरह के खेल खेलते रहे हैं। इन सब मसलों को लेकर हिमाचल आप में शुरू से जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। जिससे न तो सुशांत बाहर आ पा रहे और न ही केजरीवाल व संजय सिंह कुछ फैसला ले रहे हैं। इस स्थिति के बीच सुशांत समय समय पर वीरभद्र सिंह सरकार व धूमल पर जुबानी हमला बोलकर अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे है। ये वो भी जानते है कि उनके साथ तो पार्टी के पदाधिकारी है और न ही जनता। वो जतना को अपने साथ जोड़ने में भी नाकाम साबित हुए हैं। जिन लोगों को जोड़ा गया है, उनका जुलूस खुद संजय सिंह सुंदरनगर में बूथ प्रभारियों की हुई बैठक में निकाल चुके हैं।

आप की खराब हालात के बीच आज राजन सुशांत ने रिटेंशन पॉलिसी व बिजली बिलों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। पार्टी ने जरूरत से ज्यादा बिजली बिल वसूल कर उपभोक्ताओं की जेब ढीली करने का आरोप सरकार व राज्य बिजली बोर्ड पर लगाया है।

आप के प्रदेश संयोजक राजन सुशांत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य विद्युत बार्ड द्वारा बिजली बिल में मीटर रैंट सहित अन्य कई तरह के चार्जिज लगाए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत हैं।

उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड द्वारा 200 से लेकर 700 रूपये तक की कीमतों के मीटर लगाए गए हैं। जिनकी एवज में बिजली बिलों में हर महीने 15 रूपये मीटर रेंट वसूला गया। लेकिन पिछले कई दशकों से यह मीटर रैंट उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है। जबकि मीटर की असल कीमत मात्र एक साल के बिल में ही पूरी हो जाती है।

उन्होंने कहा कि मीटर रैंट के नाम पर बिजली बिलों में वसूली का चलन अभी भी बदस्तूर जारी है और इसे रोकने के लिए सरकार को तुरंत पहल करनी चाहिए।

बिजली बिलों में 50 से 70 रूपये तक सर्विस चार्ज वसूला जाने को भी सुशांत ने अनुचित ठहराया और कहा कि बिजली की दरें निर्धारित करने से पहले विद्युत नियामक आयोग 9 प्रकार के अलग-अलग खर्चे पहले ही जोड़ लेता है। ऐसे में बिजली बिल पर सर्विस जार्च और अन्य शुल्क लगाए जाना व्यवहारिक नही है।

सुशांत ने कहा कि प्रदेश में 22 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनमें साढ़े 19 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं तथा बिजली बोर्ड की मनमानी से उनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है।

सुशांत ने यह भी कहा कि बिजली बिलों के मुद्दे पर सरकार का दोहरा चेहरा सामने आया है। एक तरफ बिलों में अनुचित खर्चे जोड़कर ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है और दूसरी तरफ राज्य सरकार बिजली बिलों पर सब्सिडी देकर अपनी पीठ थपथपा रही है।

आप नेता ने कहा कि बिजली बिल के मुददे को पार्टी जोरशोर से उठाएगी और जनता को जागरूक करने के लिए 8 जून को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में दो घंटे का धरना दिया जाएगा। बाद में पार्टी के नेता विधानसभा हल्कों में संबंधित जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सोंपेंगे। उन्होंने रिटेंशन पॉलिसी पर कहा कि जो क्षेत्र नगर निगम में बाद में मिलाए गए है उनके मकान मालिकों की क्या गलती है । उन्होंने तो मकान बहुत पहले बना लिए है। उन्हें मकान नियमित करने के लिए पैसा क्यों देना चाहिए।

जो भी हो आम आदमी पार्टी में चल रही जंग पर प्रदेश कांग्रेस व भाजपा में खूब चुटकुले सुनाए जा रहे है। इसी बीच यह भी जानकारी बाहर आयी है कि पार्टी का केन्द्रिय नेतृत्व शीघ्र ही इस बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकता है। माना जा रहा है कि केन्द्रिय नेतृत्व यहां के सारे पदाधिकारियों को हटाकर सारी कमान अपने हाथ में ले सकता है।